भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1468
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नागरिक सुरक्षा में युवाओं के लिए प्रशिक्षण

†1468. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्धसैनिक बलों के अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता के लिए कितने नागरिक सुरक्षा संगठन/संस्थाएं मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए युवाओं को नागरिक सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बना रही है ताकि वे आपात स्थिति में या आवश्यकता पड़ने पर अपनी स्वैच्छिक सेवाएं दे सकें;

(ग) यदि हां, तो उक्त संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें नामांकित युवाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या राष्ट्र निर्माण के लिए तत्पर ऐसी प्रशिक्षित श्रमशक्ति को पारिश्रमिक और भविष्य में नौकरी के अवसर दिए जा सकते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (वर्ष 2009 में संशोधित) और यूनियन वॉर बुक ऑफ़ इंडिया के प्रावधानों द्वारा शासित है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में नागरिक सुरक्षा तंत्र कार्यात्मक है। राज्य स्तर पर, निदेशक, नागरिक सुरक्षा मुख्यालय का नेतृत्व करता है, जबकि जिला स्तर पर, नागरिक सुरक्षा नियंत्रक / जिला मजिस्ट्रेट नागरिक सुरक्षा गतिविधियों की देखरेख करता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1468, दिनांक 09.12.2025

(ख) और (ग): नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 के अनुसार, नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्य स्वैच्छिक और मानद क्षमता में काम करते हैं। नागरिकों को https://civildefencewarriors.gov.in के माध्यम से नागरिक सुरक्षा कोर में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और नामांकन को नागरिक सुरक्षा / जिला मजिस्ट्रेटों के संबंधित नियंत्रकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एक बार नागरिक को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक (सीडीवी) के रूप में नामांकित करने के बाद, उसे संबंधित नागरिक सुरक्षा नियंत्रक द्वारा पांच कार्य दिवसों के निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण से गुजरने के लिए तैनात किया जाता है, जिसके बाद छह कार्य दिवसों का,जिसके दौरान राज्य अधिसूचित प्रशिक्षण भत्ता स्वीकार्य है, उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्तमान में, देश भर में लगभग 5.95 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 83,000 नागरिकों ने पोर्टल/मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकरण किया है।

(घ): नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 के अनुसार, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ड्यूटी/प्रशिक्षण पर बुलाए जाने पर कोर के किसी सदस्य को ड्यूटी भत्ते/प्रशिक्षण भत्ते के भुगतान को अधिकृत कर सकती है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके संबंधित आदेशों के अनुसार शुल्क/प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

***